न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 35/2023
GCMS NO. : 2023/75

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. घनश्यामसिंह पुत्र बाघसिंह
2. घीसूसिंह पुत्र बाघसिंह
3. सुगना पुत्री बाघसिंह
4. अनोप पुत्री बाघसिंह
5. कमला पुत्री बाघसिंह

जातियान– पुरोहित,
निवासीगण– तालकिया,
तहसील– जैतारण, जिला
ब्यावर राज0।

1. नारायणसिंह पुत्र बक्तावरसिंह फौत के का0मु0
   1/1अयोध्या पुत्री नारायणसिंह
   1/2कमला पुत्री नारायणसिंह
   1/3 गोविन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/4 प्रकाशसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/5 लक्ष्मणसिंह पुत्र नारायणसिंह
   1/6 बिदामी पत्नी नारायणसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र मगनसिंह फौत के का0मु0
   2/1 अयोध्या पुत्री नारायणसिंह
   2/2 कमला पुत्री नारायणसिंह
   2/3 गोविन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह
   2/4 प्रकाशसिंह पुत्र नारायणसिंह
   2/5 लक्ष्मणसिंह पुत्र नारायणसिंह
   2/6 बिदामी पत्नी नारायणसिंह
3. भीखसिंह पुत्र अनसिंह

जातियान– पुरोहित,
निवासीगण–तालकिया,
तहसील–जैतारण जिला–पाली राज0।

4. तहसीलदार जैतारण,

जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजूः–14.03.2023**

उपस्थितः–
1. श्री धर्मेश जांगिड़, श्री श्रीकान्त छीपा अधिवक्ता, प्रार्थीगण
2. श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः–28/10/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि यह हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण में स्थित है जो खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 126 रकबा 2.

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

8409 हैक्टेयर करम चाही चारम कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.8733 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को इस कार्यवाही में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये एक मात्र रास्ता जो कि राजस्व मौजा तालकिया मे स्थित खसरा नम्बर 408/135 गै.मु. रास्ता की भूमि से होता हुआ आगे अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की राजस्व मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 2.8895 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की भूमि से होकर निकलता रहा है। तथा उक्त आवागमन का रास्ता आगे प्रार्थीगण की विवादित खसरा नम्बर 126 तक चलता रहा है। जिससे प्रार्थीगण निर्विवाद रूप से वर्षो पूर्व से आवागमन करते रहे है। मौके पर प्रार्थीगण के विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में आवागमन का उक्त उपर वर्णित अनुसार एक मात्र रास्ता खसरा नम्बरा 134 के दक्षिणी तरफ स्थित माठ से होता हुआ मौके पर लगभग 30 फुट चौड़ाई में चलता रहा है जहां से प्रार्थीगण स्वयं मय अपने ट्रेक्टर व अन्य साधनो से आवागमन करते रहे है। इस प्रकार से उपर वर्णित प्रार्थीगण के मौके पर स्थित इस आवागमन के रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस कार्यवाही के साथ पेश किया जा रहा है जिसमें विवादित रास्ते को मार्क ए.बी.सी, डी से दर्शाया गया है 03- यह है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शाया गये रास्ते वाले स्थल से होकर प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त खसरा नम्बर 126 की भूमि पर आवागमन कर रहे है तथा इस रास्ते के अलावा इस प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 126 में आवागमन का अन्य कोई विकल्पेन रास्ता भी नहीं है। साथ ही उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134 की भूमि के दक्षिणी भाग से होकर चलता रहा है। लेकिन उक्त आवागमन वाला रास्ते का भाग राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण ने बदनियतीपूर्वक उक्त आवागमन के रास्ते के आगे कांटे डालकर पूर्ण रूप से बन्द करते हुये आवागमन को हमेशा हमेशा के लिये अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है तथा उक्त रास्ता अवरूद्ध करने के बाद से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाकर के कृषि से सम्बन्धित कार्य नहीं कर पा रहे है तथा प्रार्थीगण को अपनी खेत में ट्रेक्टर व अन्य कृषि साधन एवं औजार ले जाने में भी भारी परेशानीयो का सामाना करना पड़ रहा है प्रार्थीगण के विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में आवागमन के लिये इस कार्यवाही में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शाये गये स्थल के अलावा विकल्पेन अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध नही है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध कर देने के बाद से जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से समझाईश की तो दिनांक 27.02.2023 को अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण से कहा कि प्रार्थीगण के विवादित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये मार्क ए.बी, सी, डी स्थल नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता नही होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को इस रास्ते से आवागमन नही करने देगें। तथा न ही प्रार्थीगण के आवागमन के लिये कोई स्थान उपलब्ध करवायेगें। इस प्रकार से प्रार्थीगण के पास अन्य विकल्पेन रास्ता उपलब्ध नहीं होने से

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं ...
सहायक कलेक्टर, जैतारण (...)

प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी हो रही है। तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थीगण हमेशा हमेशा के लिये अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नहीं कर पायेगे। जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी होगी व नुक्सान होगा। इस बाबत प्रार्थीगण विधिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत भी तैयार है। व उसके बावाजूद भी अप्रार्थीगण नहीं मान रहे है। सायलान का इस नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी से दर्शित स्थल ही एक मात्र रास्ता है। इस प्रकार से इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण अपने इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किये जाने पर उसे प्रार्थीगण देने को भी तैयार है। या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शें में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए, बी, सी, डी वाले स्थल पर 30 फुट चौड़ाई की भूमि जो रास्ते के लिये काम में आने वाली है इस भूमि को खसरा नम्बर 134 की भूमि से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है। एवं उक्त रास्ते की भूमि को भी प्रार्थीगण रास्ते के रूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की इजमेंट अoफ नेसेसिटी है। इसलिये भी प्रार्थीगण रास्ता कायम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजर नक्शे के माफिक राजस्व मौजा तालकिया पटवार हल्का पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण में अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 134 की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शित भूमि जो 30 फुट चौड़ाई में प्रार्थीगण के रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि से कम किया जाकर प्रार्थीगण के विवादित भूमि खसरा नम्बर 126 पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व फैसला सादिर फरमावे। तथा उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम भी किया जावे साथ ही रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे व प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे. अप्रार्थीगण को अदा फरमावें व प्रार्थीगण का उक्त रास्ता कायम करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर प्रार्थीगण को न्याय दिलावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 एवं 2/1 से 2/6 के सम्मन नोटिस बाहर पूना रहने से अदम तामिल प्राप्त होने से प्रार्थीगण की ओर प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 05 नियम 20 व सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 एवं 2/1 से 2/6 जिनकी प्रकरण में तामिल किया जाना आवश्यक है जो बार-बार चुक रहे है। इसलिए प्रकरण के न्यायनिर्णयन के लिए व प्रकरण के निस्तारण के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/6 एवं 2/1 से 2/6 की तामिल राष्ट्रीय अखबार में साया करवाने के आदेश फरमाये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा नोटिसेज समाचार

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्या...)

पत्र में प्रकाशित करवाये गये, अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजें लगाई गई, बावजूद नोटिस सूचना के आज अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार जैतारण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण की जांच व मौका रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/भू.अ.24/4869 दिनाँक 23.08.2024 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तालकिया के खसरा नंबर 125, 126 रकबा 0.0324 है 2.8409 है आयी हुई है राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त खसरा नंबर के कोई रास्ता नहीं लग रहा है प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के निम्न विकल्प है। मार्क ए, बी, सी,डी जो कि ग्राम तालकिया के खसरा नंबर 134 में से 183 मी. लम्बा एवं 04 मी. चौड़ा = 732 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 134 में से होते हुए खसरा नबर 408/135 किस्म गैमु रास्ता पर मिल रहा है जो कि मौके पर चालु रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं व्यवहारिक है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है उक्त प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण इत्यादि नहीं है मौके पर भूमि खाली है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है एवं उक्त रास्ता भूमि पर निर्माण नहीं है एवं उक्त रास्ता खसरा नंबर 408/135 पर मिल रहा है जो कि ग्रामीण कच्चे रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। प्रस्तावित रास्ता ए,बी,सी,डी के खसरा नंबर 134 किस्म चा0दा0 है जो कि ग्रामीण कच्चे रास्ते है जिसकी डीएलसी एवं गणना रिपोर्ट तहसील राजस्व लेखाकर की संलग्न है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 03 एवं पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्षकारान् पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि सरहद मौज-तालकिया, पटवार हल्का पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नम्बर 126 रकबा 2.8409 हैक्टेयर किस्म चाही चारम आई हुई जिस तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक पहुंच के लिए नियमानुसार रास्ता प्रदान कर उसकी तरमीम करवाए जाने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थना मय जाँच व फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तालकिया के खसरा नंबर 125, 126 रकबा 0.0324, 2.8409 है आयी हुई है राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त खसरा नंबर के कोई रास्ता नहीं लग रहा है प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के निम्न विकल्प है। मार्क ए, बी, सी,डी जो कि ग्राम तालकिया के खसरा नंबर 134 में से 183 मी. लम्बा एवं 04 मी. चौड़ा = 732 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर नहीं चल रहा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 134 में से होते हुए खसरा नबर 408/135 किस्म गैमु

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्याव.

रास्ता पर मिल रहा है जो कि मौके पर चालु रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है। है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं व्यवहारिक है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है उक्त प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण इत्यादि नहीं है मौके पर भूमि खाली है।

3. **रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान** निम्नानुसार **है:–**

251– क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(A)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

(रविप्रकाश R...)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर, जैतारण (...)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251ए में यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि रास्ता ऐसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

4. हस्तगत प्रकरण में पटवारी पटवार हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से फर्द मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रेषित मौका एवं तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन दिनाँक 23.08.2024 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 125,126 तक पहुंच के लिये कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 125,126 तक पहुंच के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा नंबर 134 से होकर खसरा नंबर 408/135 किस्म गैमु रास्ता पर मिल रहा है। जो मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है। जिस में से पटवारी पटवार हल्का रास्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 183 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर है यानि कुल 732 वर्गमीटर है, जो मौका फर्द में लाल स्याही से मार्क है।

5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिये जाने वाले रास्ते की प्रभावित भूमि ग्राम तालकिया की प्रचलित डी0एल0सी0 दर 51.05 रूपये प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) डीएलसी रेट मानते हुए कुल मुआवजा राशि 732 वर्गमीटर ×102.10 रूपये = 74738/- रूपये राउण्ड ऑफ 74800/- रूपये अक्षरे चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये दिया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थिया द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 125,126 तक पहुंच के लिये वांछित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक प्रकृति की है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए भू-अभिलेख में कोई अभिलिखित पहुंच मार्ग नहीं है। इसलिए कानूनन प्रार्थीगण खातेदार की मांग पर न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित अभिलिखित रास्ता खसरा नंबर 134 से होकर खसरा नंबर 408/135 किस्म गैमु रास्ता पर मिल रहा है। जो पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक, जैतारण की नजरी नक्शा मौका रिर्पोट में मार्क ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये खसरा नम्बर 134 में से प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता लम्बाई 183 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर है यानि कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर को गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना एवं जिसके प्रतिकर राशि स्वरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के प्रावधान अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अर्थात बाजार मूल्य के मद्देनजर ग्राम तालकिया की उक्त सरकारी भूमि की अधिकतम डीएलसी रेट वर्तमान डी.एल.सी. दर की दो गुणा (2.0) मानते हुए कुल मुआवजा राशि 732 वर्गमीटर×102.10 रूपये = 74738/- रूपये राउण्ड ऑफ 74800/- रूपये अक्षरे चौहत्तर हजार आठ सौ रूपये निर्धारित की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण द्वारा 0029

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

भू राजस्व मद में जमा करवाने के पश्चात् ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम तालकिया, पटवार हल्का पिपलियाखुर्द, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण के खसरा 125 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु बेरा, खसरा नंबर 126 रकबा 2.8409 हैक्टेयर किस्म चाही चारम तक पहुँच मार्ग के लिये न्यूनतम एवं निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 408/135 किस्म गैमु रास्ता से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या खसरा 125 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु बेरा, खसरा नंबर 126 रकबा 2.8409 हैक्टेयर तक पहुंच के लिये खसरा नम्बर 134 रकबा 2.8895 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में से 183 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा यानि कुल क्षेत्रफल 732 वर्गमीटर का रास्ता पटवारी तालकिया व भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण के द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरुप खसरा नम्बर 134 रकबा 2.8895 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में सें 732 वर्गमीटर भूमि कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 51.05/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 732 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 74800/– रूपये (अक्षरे चौहत्तर हज़ार आठ सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 134 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। पटवारी, पटवार हल्का– पिपलियाखुर्द एवं भु अभिलेख निरीक्षक– जैतारण द्वारा तैयार दिनांक 23.08.2024 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 29/10/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–ब्यावर)
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)